

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 216/2022 प्रार्थनापत्र

1. टीना पुत्री श्री हीरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. पप्पूडी पुत्री श्री हीरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. प्रेमी पुत्री श्री हीरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. महेन्द्र पुत्र श्री हीरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. मीना पुत्री श्री हीरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. लक्ष्मी पुत्री श्री हीरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. सांवर लाल पुत्र श्री हीरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. सीता पुत्री श्री हीरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 129, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपरिथत :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन
2. पेरोंकार सरकार

—अधिवक्ता प्रार्थी

—अधिवक्ता-विपक्षी

:: निर्णय ::

दिनांक 08.02.2023

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 129, 131, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद सूलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 1882/1259 रकबा 1.0749 हेक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के दादा पूर्वज गंगाराम पुत्र श्री जालु गुर्जर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित किया गया व आवंटन अनुसार कब्जा सिपुर्द किया गया, उसी अनुसार मौके पर प्रार्थीगण आकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। हाल ही मे दिनांक 01/08/2022 को पटवार हल्का के पास भूमि का सीमांकन कराने हेतु गया, जिस पर प्रार्थीगण को जानकारी मे आया कि

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर करेड़ा

प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1882/1259 रकबा 1.0749 हैक्टर जो कि राजस्व नक्शे मे 1.0749 हैक्टर के रूप मे तरमीम नही होकर लगभग 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि राजस्व नक्शे मे कम तरमीम है, जबकि मौके पर प्रार्थीगण का 1.0749 हैक्टर भूमि पर ही कब्जा है। पास मे ही विलानाम सरकारी आराजी नम्बर 2009/1259 जो कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे 0.0252 हैक्टर- दर्ज है, जबकि राजस्व नक्शे मे अधिक तरमीम है। इस कारण से प्रार्थीगण का कमी तरमीम रकबा जो कि आराजी नम्बर 2009/1259 मे अधिक तरमीम है, उसे दुरुस्त कराया जाकर आराजी नम्बर 1882/1259 रकबा 1.0749 हैक्टर के रूप मे तरमीम करायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षी को नोटिस जारी किया गया व विपक्षी द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गयी। जिसे शामिल पत्रावली की गयी।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कब्जे अनुसार तरमीम हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया। पटवार हल्का के मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की भूमि नक्शे मे सही तरमीम नही होने से पटवार हल्का के मौका रिपोर्ट मे वर्णित कब्जे व संलग्न नक्शे अनुसार तरमीम होने पक्षकारो के हितो पर विपरीत प्रभाव नही पडेगा। अतः मौका रिपोर्ट मे वर्णित कब्जे अनुसार तरमीम करवाया जाना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर सरहद सूलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 1882/1259 रकबा 1.0749 हैक्टर को को मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे अनुसार वर्णित तरमीम की जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर मय कब्जा नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। मौका नक्शा की प्रति संलग्न है।

आज दिनांक 08/02/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
(महोपाल सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)